

# Transfer of Allotment Letter.

पंजीकृत डाक

IS 15700:2005



सेवात्मक प्रमाणित

उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद  
सम्पत्ति प्रबन्ध कार्यालय  
प्रथम तल आफिस काम्पलेक्स सेक्टर-9  
वृन्दावन योजना लखनऊ।



पत्रांक

/ सं0प्र0 वृन्दावन/मॉग पत्र/«Flat\_no»

दिनांक

सेवा में,

श्री/श्रीमती/कु0 «NAME\_OF\_APPLICANT»  
पुत्र/पुत्री/पत्नी «FATHERHUSBAND\_NAME»  
«MAILING\_ADDRESS1»

विषय:-परिषद की वृन्दावन योजना, संख्या-4 सेक्टर-17 लखनऊ में स्थित स्व वित्त पोषित बहुमंजिली आवासीय परियोजना-2012 के अन्तर्गत हिमालय एन्क्लेव में फ्लैट संख्या ..... के आवंटन/मांगपत्र के सम्बन्ध में।

महोदय/महोदया,

उपर्युक्त विषयक आपके द्वारा पंजीकरण पंजीकरण/चालान संख्या ..... द्वारा वृन्दावन योजना, संख्या-4 सेक्टर-17 लखनऊ में निर्माणाधीन हिमालय एन्क्लेव में (.....)BHK का फ्लैट हेतु आवेदन किया गया है। सम्पन्न लाटरी ड्रा दिनांक ..... द्वारा फ्लैट सं0 ..... तल संख्या ..... के आवंटन हेतु सफल हुए हैं। फ्लैट का सुपर एरिया .....व0मी0 एवं अनुमानित विक्रय मूल्य रू0 ..... है जिसमें से जमा पंजीकरण धनराशि रू0 .....का समायोजन के उपरान्त शेष धनराशि का भुगतान निम्नानुसार परिषद खातों में जमा करने का कष्ट करें।

क्र0 सं0	किश्त सं0	धनराशि	सेवाकर	अन्तिम देय तिथि
1	पंजी0 राशि पर देय सेवाकर प्रथम एक मुश्त	-	.....	निर्गत प्रदेशन पत्र की दि0 से 30 दिन के अन्दर
2	प्रथम त्रैमासिक किश्त			.....तक देय
3	द्वितीय त्रैमासिक किश्त			.....तक देय
4	तृतीय त्रैमासिक किश्त			.....तक देय
5	चतुर्थ त्रैमासिक किश्त			.....तक देय
6	पंचमत्रैमासिक किश्त			.....तक देय
7	षष्ठम् त्रैमासिक किश्त			.....तक देय
8	सप्तम् त्रैमासिक किश्त			.....तक देय

फ्लैट की प्रथम एक मुश्त धनराशि एवं त्रैमासिक किश्तों का भुगतान पंजाब नेशनल बैंक, शाखा साउथ सिटी, रायबरेली रोड, लखनऊ में खाता संख्या-4140012100001269 (पीली पर्ची) में एवं सेवाकर के विरुद्ध देय धनराशि खाता सं0-4793002100000943 (लाल पर्ची में) अलग-अलग जमा करना होगा।  
नोट:-जमा पंजीकरण धनराशि के ड्राफ्ट के समाशोधन की पुष्टि के बाद ही प्रदेशन पत्र वैध होगा।

क्रमश:- 2 पर

## नियम एवं शर्तें

- (1) पंजीकरण आवंटन की वैधता बनाये रखने हेतु मांग पत्र निर्गत होने की तिथि से एक माह के अन्दर देय निर्धारित भुगतान करना अनिवार्य होगा।
- (2) मांग पत्र निर्गमन तिथि से प्रथम देय की धनराशि 30 दिन के अन्दर तथा शेष 07 त्रैमासिक किश्तों में देय होगी।
- (3) चयनित आवेदक को मांग पत्र निर्गत होने की तिथि से दो माह (60 दिन) के अन्दर फ्लैट के सम्पूर्ण देय मूल्य का पूर्ण भुगतान करने पर फ्लैट के विक्रय मूल्य पर 2 % प्रतिशत छूट अनुमन्य होगी।
- (4) यदि मांग पत्र में दर्शाये गये विवरण के अनुसार निर्धारित तिथि तक वांछित भुगतान नहीं किया गया, तो किश्त की देय धनराशि पर विलम्ब अवधि के लिये जो अधिकतम तीन माह होगी, परिषद नियमानुसार साधारण ब्याज के साथ निर्धारित अतिरिक्त ब्याज  $(11.5+2)=13.5\%$  प्रतिशत देय होगा तथा ब्याज की गणना त्रैमासिक की जायेगी।
- (5) यदि किसी व्यक्ति द्वारा निर्धारित तिथि से तीन माह के अन्दर देय किश्त की निर्धारित मूल धनराशि का भुगतान नहीं किया जाता है, तो उसका पंजीकरण पुस्तिका के नियम 5.3 के अनुसार स्वतः निरस्त हो जायेगा, और जमा की गयी धनराशि की वापसी परिषद के नियमों के अनुसार पंजीकरण धनराशि में से निर्धारित कटौती करते हुये बिना ब्याज के की जायेगी। आंशिक/पूर्ण भुगतान के उपरान्त सम्पत्ति निरस्तीकरण की दशा में सेवाकर का दायित्व आवंटी का होगा। जिसकी वापसी परिषद द्वारा नहीं की जायेगी।
- (6) नगर निगम अथवा अन्य किसी विभाग/निकाय द्वारा लगाये गये समस्त कर/शुल्क, गृह कर, सेवाकर, जी0एस0टी0 कर एवं जल कर आदि का भुगतान नियमानुसार आवंटी को करना होगा।
- (7) पंजीकरण पुस्तिका के अनुसार फ्लैट्स पर अतिरिक्त मदों के विरुद्ध देय धनराशि जमा करने की सूचना अन्तिम प्रदेशन पत्र द्वारा दी जायेगी।
- (8) पंजीकरण के उपरान्त मांगपत्र के अनुसार देय किश्तों की धनराशि का भुगतान अधिकृत बैंक में ही नकद अथवा बैंक ड्राफ्ट द्वारा किया जायेगा। बैंक ड्राफ्ट से किश्त जमा करने की दशा में "उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद" के नाम बैंक ड्राफ्ट जो लखनऊ शहर में देय हो, पंजाब नेशनल बैंक, शाखा साउथ सिटी, रायबरेली रोड, लखनऊ में खाता संख्या-4140012100001269 (पीली पर्ची) में एवं सेवाकर के विरुद्ध देय धनराशि खाता सं0-4793002100000943 (लाल पर्ची में) जमा करना होगा।
- (9) बैंक में धनराशि जमा करते समय रसीद पर फ्लैट संख्या आवेदक का नाम, पता, योजना का नाम, फ्लैट श्रेणी, एवं सेक्टर संख्या का उल्लेख अवश्य किया जाये तथा उसकी एक प्रति अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय में उपलब्ध कराना आवंटी का उत्तरदायित्व होगा।
- (10) फ्लैट के मूल्य में कमी-वृद्धि हो जाने पर, अन्तिम प्रदेशन पत्र द्वारा सूचित किया जायेगा।
- (11) किसी शर्त में संशोधन का अधिकार आवास आयुक्त में निहित होगा एवं ऐसे संशोधन प्रभावी होंगे। शेष नियम व शर्तें पंजीकरण पुस्तिका के अनुसार प्रभावी होंगी।

भवदीय,

सम्पत्ति प्रबन्धक